

ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक / पीएस, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल, नई दिल्ली निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों/स्थानों पर विज्ञापन / गैर-किराया राजस्व के अनुबंधों के आवंटन के लिए आईआरईपीएस (<https://ireps.gov.in/>) के माध्यम से ई-नीलामी आमंत्रित करता है:

ई-कैटलॉग नं.	विज्ञापन का प्रकार	रेलवे स्टेशन / स्थान	ई-नीलामी के लिए दिनांक और समय
DLIADVT MAR24-01	मोबाइल एसेट्स- विनाइल रैपिंग (ट्रेनें)	प्राथमिक रखरखाव वाली ट्रेनें = - 32 लॉट	प्रारंभ होने का समय: 26.03.24 को 10:00 बजे
	आउट ऑफ होम साइट्स- यूनिपोल जोन	मेरठ सेक्शन = (1 लॉट)	
	आउट ऑफ होम साइट्स- स्टेशन जोन	दिल्ली (3 लॉट), नई दिल्ली (1 लॉट)	
	एलईडी वीडियोवॉल्स- आरडीएन	दिल्ली (2 लॉट) = (कुल 2 लॉट)	
	गैर डिजिटल आरडीएन- डिस्प्ले बोर्ड/पोल कियोस्क	आनंद विहार टर्मिनल = 1 लॉट	
	रेल कोच रेस्तारं	हज़रत निजामुद्दीन, बरार स्कायर, सरोजनी नगर, सरदार पटेल मार्ग (सभी दिल्ली क्षेत्र) - 4 लॉट	
	ग्लोबॉल टावर्स	दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिल्ला = 2 लॉट	
बैटरी चालित गाड़ियाँ	हज़रत निजामुद्दीन = (1 लॉट)	प्रारंभ होने का समय: 27.03.24 को 10:00 बजे	

वेबसाइट विवरण जहां ई-नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है : <https://ireps.gov.in/> (E-Auction-Leasing)

आईआरईपीएस के ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल के माध्यम से आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक सभी ठेकेदारों को अपनी बोलियां जमा करने से पहले निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

- ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल के लिए आईआरईपीएस पर पंजीकरण-ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल के लिए सक्रिय आईआरईपीएस उपयोगकर्ता खाता; एकमुश्त पंजीकरण शुल्क का भुगतान; भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता; आईआरईपीएस खाते के साथ एसबीआई बैंक खाते का एकीकरण; फंड का लियन मार्किंग; कारोबार का अद्यतन विवरण; जिन ठेकेदारों के पास आईआरईपीएस के किसी भी मॉड्यूल के लिए आईआरईपीएस खाता नहीं है, वे आईआरईपीएस होम पेज पर नए विक्रेताओं/ठेकेदारों (ई-निविदा/ई-नीलामी लीजिंग) लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण के लिए अपना ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

- ई-ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल के लिए अब **वर्चुअल अकाउंट नंबर (वीएएन)** नामक एक नया तंत्र शुरू किया गया है, जिसका उपयोग बोलीदाताओं द्वारा लियन मार्किंग तंत्र के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बोली लगाने हेतु प्रवेश करने से पहले किसी भी समय लियन मार्किंग मैकेनिज्म (यदि सक्रिय हो) और वैन मैकेनिज्म के बीच स्विच करने के लिए स्वतंत्र हैं। VAN तंत्र के लिए बोली लगाने वाले का भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता होना आवश्यक नहीं है। उपयोगकर्ता किसी भी बैंक में अपने किसी भी मौजूदा बैंक खाते से अपने VAN खाते में धन स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उन्हें IREPS ई-नीलामी में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क करने के लिए रेलवे प्राधिकरण : मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, वाणिज्य शाखा, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली-110055; **Email:** publiccitycell@dlr@gmail.com, **Tel:** 011-23743084